न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/75/रा.भू.अधि./02/2021/बाड़मेर

1. नसीर खां पुत्र दिलावर खां 2. बहादुर खां पुत्र आमद खां 3. लतीब खां पुत्र उस्मान खां 4. शेरू खां पुत्र अब्दुल खांजी जातियान मुसलमान निवासीगण हड्डा तहसील व जिला जैसलमेर	1. ग्राम पंचायत हड्डा जरिये सरपंच तहसील व जिला जैसलमेर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र बाबत अनुमति करने अपील

उपस्थिति

1. वकील श्री दानसिंह महेता अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरिराम चौधरी रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–29.09.2022

यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किए गए। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना–पत्र बाबत अनुमति करने अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत अनुमति करने अपील पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण सभी गांव हडडा स्थाई निवासीगण एवं मतदाता है। तथा खसरा नं. 167 गांव हडडा की भूमि के दो तरफ गोचर भूमि स्थित है व एक तरफ नाडी सती माता का मन्दिर स्थित है इस पर पहुंचने हेतु कोई सम्पर्क सड़क भी नहीं है। गांव हडडा के खसरा संख्या 444 व 445 गांव हडडा की भूमि सड़क पर स्थित है तथा आबादी के नजदीक है व आस पास कोई धार्मिक स्थल या नाडी नहीं है। प्रार्थीगण व सभी ग्रामीणों के लिए खसरा नं. 444 व 445 पर नव सृजित ग्राम पंचायत का भवन का निर्माण करना हितकारी होगा जबकी खसरा 167 की भूमि पर पंचायत भवन के निर्माण से तमाम ग्रामवासीयों को परेशानी होगी। अपीलाधीन आदेश प्रार्थीगण व ग्रामीणों के हितों को नजर अंदाज करते हुए पारित किया गया है इस कारण अपीलार्थीगण उक्त आलौच्य निर्णय से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सनुवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि ग्राम हड्डा के खसरा संख्या 167 में से 07.10 बीघा भूमि राज. भू. राजस्व (स्कूलो, कॉलेजो, चिकित्सालयों तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हड्डा को कार्यालय भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटन की गई है जो विधि सम्मत है। अपील में अपीलांट ने आवंटन पत्रावली व आदेश में किसी प्रकार से विधिक त्रुटि होना कहीं भी अभिव्यक्त नहीं किया है, न ही किसी विधिक प्रक्रिया की भूल होना अभिव्यक्त किया है। ग्राम पंचायत एक व्यक्ति न होकर एक विधिक संस्था है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विनिर्मित है पंचायत भवन निर्माण के जमीन का प्रस्ताव उक्त संस्था द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर भेजा गया है, उस प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने का अपीलांट को कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान में समस्त लोकोपयोगी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आवंटन आदेश की भूमि को लेकर किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। अपीलाधीन आवंटन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना–पत्र बाबत अनुमति करने अपील बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 26.11.2021 को जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समस्त जन उपयोगी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए अपीलाधीन आंवटन आदेश पारित किया गया है। नवसृजित ग्राम पंचायत हड्डा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 को ग्राम पंचायत भवन एवं परिसर निर्माण हेतु आवंटित भूमि ग्राम पंचायत की परिसीमा के मध्य में स्थित है। ग्राम पंचायत हडडा द्वारा दिनांक 05.07.2021 ग्राम सभा की विशेष वैठक बुलाई गई जिसमें प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। तहसीलदार जैसलमेर स्वयं के द्वारा अपीलाधीन आराजी को ग्राम पंचायत हडडा को आवंटित करने हेतु दिनांक 26.11.2021 मौजा हडडा के खसरा संख्या 167 में से रकबा 07.10 बीघा भूमि बंजड़ को ग्राम पंचायत हडडा के भवन एवं परिसर निर्माण हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में आवंटन करने की अनुशंषा की गई है। राज. भू. राजस्व (लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हडडा को कार्यालय भवन निर्माण हेतु आवंटन की गई है जो विधि सम्मत है। हस्तगत अपील में बहस सुनने के पश्चात अपीलांट द्वारा प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र पेश किया जवकि प्रकरण में बहस सनने के पश्चात हस्तगत अपील को निर्णय/आदेश के लिए रिर्जव कर दिया गया। मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र में माननीय राजस्व

राजस्व अपील प्राधि...
जैसलमेर

मण्डल का कोई स्थगन आदेश पारित नहीं है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। वक्त आवंटन के समय उचित विकल्प को ध्यान में रखते हुए आवंटन आदेश जारी किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी के हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं ठहरता है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण का प्रार्थना–पत्र बाबत अनुमति करने अपील खारिज करने योग्य ठहरता है।

लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपीलांटगण का प्रार्थना–पत्र बाबत अनुमति खारिज किया जाता है तथा अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर